क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

भविष्य निधि भवन, 341, बांबा (पूर्व) बम्बई-400 051 Bhavishya Nidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Bombay-400 051

Dhayishya Mulli Dhayan, 341, Danuta (East), Domony-400 031
н./нет/и. П. / 10 10 В В В В В В В В В В В В В В В В В
To: 211.90
ms Gnsolidated System Blb. m. 20. C. 2nd. A. 2. M. Lad
विषय: फर्मचारी भृतिष्य निधि एवं प्रकिण अपवन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई गोजना-इसकी प्रयोज्यता-संकेत संख्या या आयंटन
Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed there under—applicability thereof—Allotment of code number.
महोत्रय, Sirs,
1. अलपकी फैबड़ी/स्थापना उसकी सभी बाखाए और विभागों के साथ वि ———————————————————————————————————
1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purvier of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereundowith effect from
(1) आपकी पैसट्टी अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग का गार्थ करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिक कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिणी उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।
(i) Your factory is engaged in E
2. आपकी स्थापना के अनुसार कमेंबारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 (3) (वी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिमूचना के अनुसार कमेंबारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।
(ii) Yours is an establishments classified as
3. आपकी फैयट्री/स्थापना जो कार्य करती है यह अनुतूची 1 में उक्तिलित उद्योग में तथा अधिनियम श्री धारा 1 (3) (या) के अनुसार भारत गरकार हारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को अ-मूचियद्ध माना गया है।
(1-मा) जांच पडताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर ज्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस गर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए ।
(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject for the verification of your records for prior periods.
(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन से की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त अधिकार का प्रयोग करते हुने भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हैोरों तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि.————————————————————————————————————
(1-B) With reference to your application No

- 3 पीतहो/स्थापना में या प्राणि काम के साम्या में मार्ग अरने पान्य कर्मणारी भिषय निधि योजना, 1952 की धारा 26 के अनुसार निधि की सथरयत
- 3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fund.
- 4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 61 % /8 % of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.
- (2) अंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल येतन, महंगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकेलित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या नाशिक आधार पर अदा किया है।
- (ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
- (3) प्रत्येक अंशादान रुपये के नजबिक के चतृयाँक में परिकलित किया जाएगा। जैसे कि 125 या उसके अधिक पैसे रुपये के अगले उच्च चतृयाँक के अनुसार गिने जाए।
- (iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i. e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee.
- ्र (4) अंशदान की परियणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णा[कित किया जाप जैसे कि 50 या उससे अधिक पैसे एक रुपया के अनुसार गिने जाए और 50 से कम पैसे कोड दिये जाए।
- (iv) For the purpose of calculation of contributions, the wages may be rounded off to the nearest tupee i. c. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.
 - हिष्पणी :- किसी भी दिन आपनं 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामगर रक्षा हो आग 8% अंदशवान वेने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 - NOTE: On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions—8%
 - (5) नियोवता प्रथमतः उसके और कर्मजारी की ओर से देव दोनो अवादान भरें।
- (v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.
- (6) टेग्नेदार द्वारा कामपर लगाये हुये कर्मचारीयों के बारे में येय अणदान टेकेदार वमूल गरेगा और सदस्य के अणदान की कटीती समान अणदान की द्वारा प्रशासनिक खर्चा की रक्वम के साथ मुक्य नियोवता की सुपूर्त करेगा।
- (vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.
- (7) मुख्य नियोगता पर उसके कर्मचारीयों के एवं ठेकेबार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देग दोनो अणदान और प्रणासीतक लगों की रक्तम भरते की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.

- 5. कर्मचारी को उसका वेतन वेने से पहले आप उसके बेतन से कर्मचारी के अंशवान की कटीशी करें और अध्यक्त अंगवान एवं प्रवासनिक वार्ची की रकाम के साथ प्रत्येक महिने की समाप्ति के १५ के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बंक द्वारा पीयन निध्य के लेख में अलग भाजान द्वारा निम्नलिशित प्रकार से अर्थ
- 5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner:
 - (क) भ, नि, अणदान (दोनो कर्मचारी एवं नियोगता गा)

यामेचारी भविष्य निधि छिला सं । में निहोंपिय विष्या जाए।

(a) P. F. contributions (both employees' and employer's) To be deposited in Employee's Provident Fund

Account No. 1.

(ख) प्रशासनिया समी की रकम

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निक्षेपित किया जाए।

Administrative charges (b)

To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2.

(ग) परिवार पेन्शन अंशवान

कर्मचारी परिवाद, भेन्सम निधि छेखा सं 10 में नियोगित गिया जाए।

(c) Family Pension contributions

To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10.

हिष्पणी :- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर देतन के, अर्थात मूल वेतन, अनाग मुविधा की नकद कीमत के साथ महंगाई भला और अगर हो तो प्रतिधारण अर्चे के 0.37 % हैं। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमान 5.00 रुप्यों के याम परिकालित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमान 5.00 रुप्यों के याम परिकालित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमान कम से कम 5.00 रुप्यों देप, होगी।

NOTE: (i) The rate of administrative charges is 6.37 per cent of pay i. e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

- (2) यह भी नाट कर लिया जाये की सबस्य के बेतन से मधा समय कटीती न करने पर अंगवान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यों की उत्तरवरी वितन से पिछले अवधि में लिये बयाये अंगदान की बसूली निशिद्ध है।
- (ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.
- (3) आपको सभी पास कमचारीयों के बारे में पिछले --it-------सक के महिनों के लिए भविष्य निधि कुल अंगरान इस पत्ने की तारील से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित खाते में निशेषित गरना है।
- (iii) You have to deposit the total P. F. contributions of the eligible employees for all past month namely from-—in to the respective account the date of this letter. within 30 days from
 - (4) धन प्रेपण हेतु सम्बन्धित सालान इस कार्यालय यां विभिन्न जिलों में स्थित निरिक्षफ कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (iv) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the State Bank of India.
- (5) चेवा पथा अवस्था था. भा. नि. लेखा सं. 1, 2, 10, 21 और 22 के नाम से लिखकार चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट वैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किये जाए।
- (6) लेखा संख्या 1, 2 और 10 में (उपगुण्त ब्योरे के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना পুড়েং क्षे अन्तर्गत लेखा सं 21 और 22 में निम्मलिखित प्रकार से राणीका निक्षेप अस्पेक महिने की समाप्ति के बाद अगले महिने के 15 दिन के अन्दर करना
 - 6. Besides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amounts in Account Nos. 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme. 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.
 - निक्षेप महबद बीमा निधि लेखा सं. 21.
- इम लेखा में नियौक्ता डारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के माय) और अगर हो तो प्रतिधारण मत्तें की कुल राशी पर ०.५ % की दर से अंशादान निक्षेपित
- Linked Deposit Fund Insuranco Account No. 21.
- To this account will be deposited the contribution 0.5 9 will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by employer,
- क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासन लेखा सं. २२.
- इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज मुविधा की नकद कीमत के साथ), और अगर हो तो प्रतिधारण भन्ते की कुल राशी पर 0.1 % की दर से प्रशासनिक खर्जी की रकम निक्षेपित करनी हैं।
- (ii) Regional Insurance Fund Administration Account No.22
- To this account will be deposited the administrative charges 0. t her cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

- 7. जपमुक्त केया सं. 1, 2, 10, 21, और 22 में फिया जानेदाला निक्षेत आहा। चालान द्वारा किया जाए एवं यैक ग्रास प्राप्त पायती के प्रति प्राप्त सं. १२-ए (निम्निकिथित क्योंरो के अनुसार) के साथ रालान करके दस कार्यालय की भेंगी जाए।
- 7. The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challa, and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 12-A (explained below)
 - 8. आपको निम्नस्त्रिखत विचरणियों का पायण/प्रेषण करना है।
 - 8. You are required to maintain/forward the following returns.
 - पा. पा. जि. योजगा 1952
 के अन्तर्गत प्रपष्ट संख्या
 तथा प. प. योजना
 1971 के अन्तर्गत प्रपक्ष
 सं. 3 (प. पे. नि.)

योजना के अन्तर्गंत फैन्ट्री/स्थापना की स्थाप्ति की तारीख पर जिन्हें सवस्य यनामा आयवयक है या जो सयस्य बननेके किए पात है उन कर्मचारोयों के बारे में केवल एक बार इन्हें इस कार्यालय में प्रस्तुत करना हैं।

(i) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F. P. F. Scheme, 1971. These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/establishment is covered under the Scheme.

२. गमचारी भ. नि. योजना १९५२ तथा प. पे. नि. योजना 1971 क अन्तर्गत प्रपत्न सं. 2 इन्हें इस कार्यालय को क्षेत्रने के लिए प्रत्येक सदस्य से वो प्रतियों में प्राप्त करना है।

(ii) Form No. 2 under the EPF Scheme, 1952 and alsounder F. P. F. Scheme, 1971. These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.

(३) प्रपत सं. 5-ए.

यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। मालिकी में अगर उत्तरवर्ती परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपक्त के जरिए इस कार्यालय को सचित किया जाए।

(iii) Form No. 5-A.

This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(४) प्र**प**त्न सं. 3-ए

इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैस्ट्री/ स्थापना में पोपीत किया जाना है।

(iv) Form No. 3-A

This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member

(५) प्रयत्न सं 6-ए

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है ऑर इसे वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाता है।

(v) Form No. 6-A

This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.

- . (६) भगन सं. 12-ग
- यह अंगदान को मासिक विवरणी है और इसे 25 सीरील सर्ग इस कार्यालय को भेगा जाना है। भारतीय स्टेट बैंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की आए।
- (vi) Form No. 12-A
- This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.
- (७) प्रयत्न सं. 5 ओर 10
- यह महिते में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाना गया है तथा जिन कमचारीयों ने सेवा त्याग दी है। जनके सम्बन्धि विवरणियों है जिन्हे 25 तारीख तक इस कार्याक्य को भेजा जाता है।
- (vii) Form Nos. 5 and 10
- These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.

CC CC

τ

रक

by thr

- 9. कमैदारी भविष्य निधि गोजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत सभी निधारित प्रपन्न भविष्य निधि विनेधिक्षक के बार्याक्रय में उपक्रक्ष्य हैं और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी। योजना में निर्धारित विभिन्न प्रपन्नों का संक्षिप्त विवरण अनुकानक देंप! से दिया है। शोध्य गणक भी एसके संकर्म है।
- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Office and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure 'A'. A ready reckoner is also enclosed.
- 10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपन्न सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका प्रसा चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जाँच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कमचारीचों के बारे में पानता रिजस्टर रखेगी।
- 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.
- 11. निक्नशिक्षित प्रारूप के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी धर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।
- 11. An Inspection book in the following proforms may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations:

(2) ii)	णांच फिये गये लेखा की अवधि Period for which accounts are checked
	고 하시아요. 그리는 이 경기 전환 경험이 가입하는 것이 되었다.
	भेट की वारीख Date of visit
	는 하는 사용 사용 사용하는 이 바로 중 등 경우 교육 중 중 하는 것이 있는 것이다. 하는 것이 하는 것이 하는 것이 하는 것이 되었다. 그런 것이 되었다. 그런 그렇게 되었다. 그는 그런 그들은 그렇게 하는 것이 되었다. 그런

- 13. यह मुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में शर्रनी है। विक्रिक्त अवायमी कर्मचारी सथिव्य निधि एवं प्रक्रिण उपरू अधिनियम की धारा 14-वी के अनुसार सौ प्रतिसत असिमूल्य के लिए उत्तरवामी होगी।
- 13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
 - 14. इसके अविश्वित देवता की अदेनभी तथा विवरणिया की अन्मरपृति में किए अभियोग भी खगाया जाएगा।

- 14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.
- 15. इस फार्याल्य के निरीक्षक आपकी स्थापना को घेट देंगे। इसलिए आपसे निषेदन हैं की जन्हें आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपनो कोई फिटिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गपर्यन की अपेक्षा रखते हैं; तो इस कार्घालय को या निम्नलिश्वित पते पर भविष्य निश्चि निरीक्षक को लिख सबाते हैं।
- 15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

यी/श्रीमती

मविष्य निधि	निरीक्षक		* • .	1
·		•		
				() भवदीय,
			, भोन्नीय	र भनिष्य निधि आसुमत,
				महाराष्ट्र तथा गोवा

Provident Fund Inspector

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully,

Regional Provident Fund Commissioner,
Maharashtra and Goa.

संलग्नय

encl

- I संकेत संख्या के आबंटन सम्बन्धि सूचमा
- 1. Instruction regarding allotment of A/c number and filling up of Scheme.
- 2. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund accumulations and transfer of securities.
- 3. Ready Reckoner for calculating P. F. contributions/F. P. contribution/Deposit Linked hisurance Contribution.

लेखा संख्या के आबंटन सम्बन्धि सचना

INSTRUCTION REGARDING ALLOTMENT OF ACCOUNT NUMBER

पूर्व निधि के जितने योगज़र्ता है जितने ही कमसंख्या होगीं, । फैक्ट्री/स्थापना की संकेत संख्या का कमसंख्या को किया का किया किया का किया किया के पहले जोडनेपर सम्बन्धित वर्षचारी/योगज़र्ता को अविव्य निधि की प्रति विश्व के जितने योगज़र्ता है जितने ही कमसंख्या होगीं, । फैक्ट्री/स्थापना की संकेत संख्या के पहले जोडनेपर सम्बन्धित वर्षचारी/योगज़र्ता को अविव्य निधि की प्रति होगीं। उपाहरण के तौरपर, अगर आपको पैनट्री/स्थापना में 52 योगज़र्ता है तो उनकी पूर्ण भविष्य निधि लेका संख्या प्रमुच् 306/1, एम्एच/306/2, प्मुच्च/306/3, और इसी तरह लगातार एम्एच्/306/52 तक होगी। जिससे एम्एच/306 यह फैक्ट्री/स्थापना की अ-परिवर्तनीय संकेत संख्या सूचित है और संब्यास्मक कर्माक पोगकर्ता के लिए नियंत की गयी लेका संख्या सूचित करते। हैं। संकेत संख्या की तरह योगकर्ता को एक बार नियंत की गयी लेका संख्या में अपरिवर्तनीय होगी। घोगकर्तीन सेवा त्याग देने पर उसका लेका बंद हो गया हो बन्द लेखा की लेका, संख्या रिवंत रखी जाए। उसे किसी नये संबंध के लिए फिर से नियंत न की जाए। पोगकर्ती का फैक्ट्री/स्थापना से स्थानांतरण होने पर, जिस फैक्ट्री/स्थापना के बीच होनेवाले पत्नाचार में योगवाली की लेखा संख्या अप्रवृत्त रहेगी लेकिन किसी अन्य को नियंत नहीं को जाएगी। क्षेत्रीय अधिप्य निधि वायुक्त और फैक्ट्री/स्थापना के बीच होनेवाले पत्नाचार में योगवाली की लेखा संख्या उद्युत की जायगी।

The employee's subscriber's account number will be a running number under the code number of the factory/establishment. Each factory/establishment having a serial of its own and as many numbers in the serial as there are subscribers to the Fund. The running numbers prefixed with the code number of the factory/establishment will be the full Provident Fund Account Number of the employee/subscriber concerned. For example, if there are 52 subscribers in a factory/establishment their full Provident Fund Account Numbers will be MH/306/1, MH/306/2, MH/306/3, and so on till MH/306/52, where MH/306 denotes the unalterable factory/establishment's code number and the running numerical numbers denote the Account Number allotted to each subscriber, like the code number, the account number, once allotted to the subscriber will not be changed when he quits service and his account is closed, the number of the closed at the will be left blank and WILL NOT BE RE-ALLOTTED TO ANY NEW MEMBER. On transfer of a subscriber from one factory/establishment he joins and his account number in the factory/establishment in which he was last employed will become inoperative and will not be re-allotted to and one. The Account Number of each subscriber must be quoted in all correspondence between the Regional Provident Fund Commissioner and the factory/establishment and vice versa.

No. 11-32825

FRESH CERTIFICATE OF INCORPORATION CONSEQUENT ON CHANGE OF NAME

IN THE OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES, MAHARASHTRA, BOMBAY.

In the matter of * CONSOLIDATED POWER SYSTEMS LIMITED.

I hereby approve and signify in writing under Section 21 of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. GS.R. 507E dated the 24th June 1985 the change of name of the company from

CONSOLIDATED POWER SYSTEMS LIMITED

to POWERICA LIMITED

and I hereby certify that CONSOLIDATED POWER SYSTEMS LIMITED which was originally incorporated on FOURTH day of MAY 1984 under the "COMPANIES Act, 1956 and under the name CONSOLIDATED POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED having duly passed the necessary resolution in terms of section 21 of the Companies Act, 1956 the name of the said Company is this day changed to

POWERICA LIMITED

and this certificate is issued pursuant to Section 23(1) of the said Act.

GIVEN UNDER MY HAND AT BOMBAY THIS FIFTH DAY OF OCTOBER 1989 (One thousand nine hundred EIGHTYNINE)

Seal of the Registrar of Companies Maharashtra

(R. AGHORA MURTHY)
REGISTRAR OF COMPANIES
MAHARASHTRA, BOMBAY.

Note: 1 Here give the name of the company as existing prior to change.

Here give the name of the Act(s) under which company was originally registered and incorporated.